



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-04092025-265949
CG-MH-E-04092025-265949

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3897]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 2, 2025/भाद्र 11, 1947

No. 3897]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 2, 2025/BHADRA 11, 1947

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 28 अगस्त, 2025

रेलवे अधिनियम (संशोधन) 2008 की धारा 7A के तहत

का.आ. 4002(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी, “ i) PH-16 :- देवलाही स्टेशन - कुंभ मेला 2027 के लिए सी एंड डब्ल्यू परीक्षण और स्टैबलिंग सुविधाओं का प्रावधान

ii) PH-16:-ओढा स्टेशन - 2027 में कुंभ मेला यातायात को संभालने के लिए स्टैबलिंग लाइनों का प्रावधान” “विशेष रेलवे परियोजना” की विशेष रेल परियोजना के भूमि अधिग्रहण करने हेतु महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिला में निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और संचालन के लोक प्रयोजन के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्र. सं.	परियोजना का नाम	सक्षम प्राधिकारी (CALA)	तालुका	गांवों के नाम
1.	PH-16 :- देवलाली स्टेशन - कुंभ मेला 2027 के लिए सी एंड डब्ल्यू परीक्षण और स्टैबलिंग सुविधाओं का प्रावधान	सहायक जिल्हाधिकारी तथा अनुविभागीय अधिकारी, नाशिक	नाशिक	भगुर
2.	PH-16:-ओढा स्टेशन - 2027 में कुंभ मेला यातायात को संभालने के लिए स्टैबलिंग लाइनों का प्रावधान		नाशिक	ओढा, लखलगाव

[फा. सं. G197/Nashik Kumbh 2027/Devlali & Odha /7A]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 28th August, 2025

Under clause 7A of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 4002(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of The Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to the Railway (Amendment) Act 2008 (No.11 of 2008), the Central Government hereby authorize the officer mentioned in column (3) of the table below as “Competent Authority” to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette in respect of the Special Railway Project of “**i) PH-16:- Devlali - Provision of C&W examination and stabling facilities for Kumbh Mela 2027 ii) PH-16:- Odha station - Provision of stabling lines for handling Kumbh Mela traffic in 2027**” District Nashik in the State of Maharashtra relating to Tehsil mentioned in Column (4) of the said table for the public purpose of execution maintenance, Management and operation of such special Railway Project.

TABLE

Sr. No.	Project Name	Competent Authority	Tehsil	Village
1.	PH-16:-Devlali- Provision of C&W examination and stabling facilities for Kumbh Mela 2027	Assistant Collector and Sub divisional officer, Nashik	Nashik	Bhagur
2.	PH-16:- Odha station - Provision of stabling lines for handling Kumbh Mela traffic in 2027		Nashik	Odha and Lakhalgaon

[F. No. G197/Nashik Kumbh 2027/Devlali & Odha /7A]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Construction)